मोहर साई और अन्य

बनाम

गायत्री देवी और अन्य।

(2015 की सिविल अपील संख्या 8411)

अप्रैल 27, 2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई और ए.एम. खानविलकर, जे.]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 140 - जब लागू न हो - मोटर दुर्घटना में व्यक्ति की मृत्यु हो गई - मृतक के उत्तरदाताओं के उत्तराधिकारियों द्वारा दावा याचिका - ट्रिब्यूनल ने यह कहते हुए उत्तरदाताओं के पक्ष में याचिका का फैसला किया कि मोटरसाइकिल संबंधित समय पर अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा संचालित थी और उसने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना का कारण बना और मुआवजा दिया - उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए उक्त निष्कर्ष को उलट दिया, हालांकि, मुआवजे के संबंध में अपीलकर्ताओं पर तय दायित्व को बरकरार रखा - अपीलकर्ताओं की दलील है कि उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि यह अंशदायी लापरवाही का मामला था क्योंकि मृतक स्वयं मोटरसाइकिल चला रहा था, अधिक से अधिक उत्तरदाता धारा 140 के तहत 'कोई दोष दायित्व सिद्धांत नहीं' पर मुआवजे के हकदार होंगे - माना: उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की - प्रतिवादियों ने अपने गवाहों के माध्यम से स्थापित किया कि मोटरसाइकिल का स्वामित्व अपीलकर्ता नंबर 1 (अपीलकर्ता नंबर 2 के पिता) के पास था और जिस दिन दुर्घटना हुई, मोटरसाइकिल अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा चलाई गई थी, जबकि मृतक बीच में बैठा था और डीडब्ल्यू-2 उसके पीछे था - उच्च न्यायालय ने उक्त संस्करण को असत्य के रूप में खारिज नहीं किया, हालांकि, अपीलकर्ताओं की ओर से जांच किए गए इच्छुक गवाहों के बयानों पर चुनिंदा रूप से भरोसा किया - ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई कमज़ोरी नहीं है - एक बार जब उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि मोटरसाइकिल वास्तव में मृतक द्वारा चलाई गई थी, संदिग्ध हो जाता है, तो अधिनियम की धारा 140 को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता - वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है - भारत का संविधान - अनुच्छेद 136।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - मोटर दुर्घटना दावा के अंतर्गत - न्यायालय की भूमिका - पर चर्चा की गई।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना गया: 1.1 ऐसे मामलों में जहां दुर्घटना वाहन के मालिक या अन्य वाहन की गलती के बिना होती है, मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व, अधिकतम, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को पलट दिया कि मोटरसाइकिल को प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा चलाया गया था जब दुर्घटना हुई थी, और इसके बजाय, निष्कर्ष निकाला कि मोटरसाइकिल वास्तव में मृतक द्वारा चलाई गई थी। उस अर्थ में, दुर्घटना न तो वाहन के मालिक (अपीलकर्ता नंबर 1) की गलती के कारण हुई, जो माना जाता है कि प्रासंगिक समय पर मोटरसाइकिल पर मौजूद नहीं था या यात्रा नहीं कर रहा था, न ही किसी अन्य वाहन की गलती के कारण। हालाँकि, गहराई से जांच करने पर यह पाया गया कि उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की, रिकॉर्ड के चेहरे पर एक त्रुटि, कि मोटरसाइकिल अपीलकर्ता नंबर 2 (अपीलकर्ता का बेटा नंबर 1 - मोटरसाइकिल का मालिक) द्वारा चलाई जा रही थी। और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई थी। हालाँकि, उत्तरदाताओं-दावेदारों ने अंशदायी लापरवाही का पता चलने पर मुआवजे की राशि में कटौती के खिलाफ न तो क्रॉस अपील की है और न ही उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के महत्वपूर्ण निष्कर्ष को उलटने के संबंध में कोई क्रॉस आपत्ति दर्ज की है। हालाँकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में, न्यायालय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, लेकिन उसे माता-पिता की भूमिका का निर्वहन करना होगा। [पैरा 8]

1.2 उत्तरदाताओं ने अपने गवाहों के माध्यम से यह स्थापित किया कि मोटरसाइकिल का स्वामित्व अपीलकर्ता नंबर 1 के पास था और अपीलकर्ता नंबर 2 उस मोटरसाइकिल को स्वयं चलाता था। अपीलकर्ताओं और उनके गवाहों (डीडब्ल्यू-2) और (डीडब्ल्यू-3) के स्पष्ट शब्दों के अलावा, जो स्पष्ट रूप से इच्छुक गवाह थे, अपीलकर्ताओं ने साक्ष्य का कोई शीर्षक भी प्रस्तुत नहीं किया। ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न केवल एक संभावित दृष्टिकोण था, बल्कि मोटर दुर्घटना मामलों में साक्ष्य की सराहना के लिए लागू किए जाने वाले पैमाने अर्थात् संभावनाओं की प्रबलता के अनुरूप भी था। [पैरा 9,11]

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्यों का विश्लेषण नहीं किया गया, जिसमें गवाहों के भौतिक साक्ष्य भी शामिल थे, जिन्होंने अपीलकर्ता नंबर 2 को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा था और मृतक को उसके पीछे पीछे बैठे देखा था। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की ओर से जांचे गए इच्छुक गवाहों के बयानों पर चुनिंदा रूप से भरोसा किया। दावेदारों द्वारा जांचे गए चश्मदीद गवाहों को न तो असत्य मानकर खारिज कर दिया गया और न ही उच्च न्यायालय को उनके द्वारा दिए गए बयान में कोई विरोधाभास मिला। जिरह के दौरान उनका बयान बरकरार रहा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने केवल बचाव में अपीलकर्ताओं द्वारा जांचे गए इच्छुक गवाहों के संस्करण पर भरोसा करके ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की। दूसरी ओर, ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्य की समग्रता का विश्लेषण संभावनाओं की प्रधानता के सिद्धांत के अनुरूप है। [पैरा 12]

1.4 एक बार जब उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष संदिग्ध हो जाता है, तो अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क विफल हो जाता है, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 140 लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई खामी नहीं है कि मोटरसाइकिल को प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा चलाया गया था और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप मोटरसाइकिल पर यात्रा कर रहे सभी तीन व्यक्ति घायल हो गए। मृतक ने अस्पताल में भर्ती होने से पहले ही दम तोड़ दिया। भविष्य की संभावनाओं के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा और 16 के गुणक को लागू करने सहित व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/4 की कटौती के बारे में कोई गंभीर तर्क नहीं दिया गया था। भले ही उस संबंध में कोई भी तर्क अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध था, जैसा कि इसमें शामिल राशि नगण्य है और ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मात्रा और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मात्रा के बीच अंतर केवल मामूली है (ट्रिब्यूनल ने रु. 3,85,000/- निर्धारित किया और उच्च न्यायालय ने रु. 3,86,500/- निर्धारित किया), संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप से इनकार किया जाता है। साथ ही, यह स्पष्ट किया जाता है कि मृतक के खिलाफ अंशदायी लापरवाही और उसके लिए 50% मुआवजा राशि की कटौती के प्रावधान के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की न्यायसंगतता की जांच नहीं की गई है क्योंकि उत्तरदाताओं ने निष्कर्ष के उस हिस्से पर हमला नहीं किया है। उच्च न्यायालय के. [पैरा 13]

1.5 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 14]

ए श्रीधर बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य **(2011) 14 एससीसी 719 : [2011] 11 एससीआर 386 - अनुपयुक्त ठहराया गया।**

केस कानून संदर्भ

[2011] 11 एससीआर 386 को अनुपयुक्त माना गया पैरा_6

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2015 की सिविल अपील संख्या 8411।

बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.04.2015 से 2011 की विविध अपील (सी) संख्या 1100।

सुश्री सुमिता हजारिका, वकील। अपीलकर्ताओं के लिए.

कोर्ट का फैसला **ए.एम. खानविलकर, जे**. द्वारा सुनाया गया।

1.यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, विविध द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से उत्पन्न हुई है। 2011 की अपील (सी) संख्या 1100, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कोरिया, बैकुंठपुर, छत्तीसगढ़ (इसके बाद " **अधिकरण**") द्वारा पारित फैसले के खिलाफ यहां अपीलकर्ताओं (अपराधी वाहन के मालिक और चालक) द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति देता है। "अधिकरण "), दावा मामले संख्या 22/2008 दिनांक 21 सितंबर, 2011 में, इस निष्कर्ष पर कि मृतक 50% की सीमा तक अंशदायी लापरवाही के लिए उत्तरदायी था और इस तरह, मुआवजे की राशि का 50% काटने के बाद, उत्तरदाता/दावेदार दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 3,86,500/- रुपये की राशि के हकदार होंगे।

2.संक्षेप में कहा गया है, उत्तरदाताओं ने मृतक कृष्ण कुमार साहू उर्फ टीपू साहू, पुत्र दशरथ साहू के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत अधिकरण के समक्ष दावा याचिका दायर की (संक्षेप में) 14 नवंबर, 2006 को हुई एक मोटर दुर्घटना में कृष्ण कुमार साहू की मृत्यु के कारण 20,21,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति के लिए "अधिनियम")। प्रतिवादी नंबर 1 मृतक कृष्ण कुमार साहू की विधवा है . प्रतिवादी संख्या 2 से 4 मृतक के नाबालिग बच्चे हैं और प्रतिवादी संख्या 5 और 6 मृतक के माता-पिता हैं। उन्होंने दावा किया कि जब कृष्ण कुमार

ग्राम काठघोर के बस स्टैंड के पास अपनी पान की दुकान में थे, तो अपीलकर्ता नंबर 2 प्रेम लाल राजवाड़े अपनी मोटरसाइकिल नंबर सीजी 16 सी/5171 पर एक दोस्त नरेंद्र पनिका के साथ उनकी दुकान पर आए। दोपहर 1.00 बजे और कृष्ण कुमार को अपने साथ ग्राम बेलिया चलने के लिए मना लिया। तीनों मोटरसाइकिल से ग्राम बेलिया के लिए निकले। बेलिया से वापस लौटते समय जब वे खाड़ नाला के पास पहुंचे तो तेज गति के कारण चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण मोटरसाइकिल फिसल गयी. फलस्वरूप मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोग घायल हो गये. मोटरसाइकिल पूरे समय प्रेम लाल चला रहा था। उन्हें सरकारी अस्पताल, सोनहत में प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर आगे के इलाज के लिए चरचा क्षेत्रीय अस्पताल में रेफर कर दिया गया। चर्चा अस्पताल ले जाते समय रास्ते में कृष्ण कुमार की मौत हो गई। इस पृष्ठभूमि में, दावा याचिका दायर की गई थी, जिसका अपीलकर्ताओं ने विरोध किया था।

3.माना जाता है कि, अपीलकर्ता नंबर 1 आपत्तिजनक वाहन का मालिक है और अपीलकर्ता नंबर 2 अपीलकर्ता नंबर 1 का बेटा है, जो दुर्घटना की तारीख पर मृतक के साथ आपत्तिजनक मोटरसाइकिल पर गया था। हालाँकि, अपीलकर्ताओं के अनुसार, जब दुर्घटना हुई तो मोटरसाइकिल कृष्ण कुमार चला रहा था, न कि अपीलकर्ता नंबर 2, जैसा कि आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता नंबर 2 बीच में बैठा था और नरेंद्र पनिका पीछे की सीट पर बैठा था। कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल लापरवाही व तेज गति से चला रहा था। उसे धीमी गति से चलने के लिए कहा गया था लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंततः दुर्घटना हो गई। दूसरे शब्दों में कहें तो हादसे के लिए मृतक कृष्ण कुमार खुद ही जिम्मेदार था.

4. पार्टियों के प्रतिस्पर्धी दावों के आलोक में, अधिकरण ने चार मुद्दे तय किए और अंततः दावेदारों के पक्ष में दावा याचिका का जवाब दिया। अधिकरण ने दावेदारों की दलील को स्वीकार कर लिया कि प्रासंगिक समय पर आपत्तिजनक वाहन (मोटरसाइकिल) प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2) द्वारा चलाया गया था और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई थी। इसके बाद अधिकरण ने मृतक की अनुमानित मासिक आय रु. 3,000/- के आधार पर मुआवजे की राशि निर्धारित की और 15 का गुणक लागू किया। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल ने अंतिम संस्कार के खर्च, नुकसान के लिए रु. 25,000/- की

एकमुश्त राशि देने का फैसला किया। मृतक की मृत्यु के कारण प्रेम और स्नेह का. अधिकरण ने मुआवजे की रकम 3,85,000/- रुपये निर्धारित की, जिसे दावा याचिका दायर करने की तारीख से उसके भुगतान तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। अपीलकर्ताओं ने बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील के माध्यम से अधिकरण के उक्त निर्णय पर आपत्ति जताई।

5. उच्च न्यायालय ने अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को पलट दिया कि प्रासंगिक समय पर आपत्तिजनक वाहन (मोटरसाइकिल) प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2) द्वारा चलाया गया था और इसके बजाय यह पाया गया कि मृतक खुद मोटरसाइकिल चला रहा था और उसने दुर्घटना की थी। दुर्घटना। उस निष्कर्ष पर, उच्च न्यायालय ने माना कि अंशदायी लापरवाही का मामला होने के कारण, दावेदार उसके द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का केवल 50% पाने के हकदार होंगे। मुआवजे की राशि की मात्रा के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकरण भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की वास्तविक आय में 50% जोड़ने और 1/3 के बजाय 1/4 आय की कटौती का प्रावधान करने में विफल रहा। . इसके अलावा, अंतिम संस्कार के खर्च और पत्नी के संघ की हानि और बच्चों और माता-पिता के प्रति प्यार और स्नेह की हानि के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया। उस आधार पर, उच्च न्यायालय ने राय दी कि देय कुल मुआवजा राशि 7,73,000/- रुपये होगी, लेकिन अंशदायी लापरवाही के लिए उस राशि का 50% कटौती के बाद, उत्तरदाताओं - दावेदारों को वास्तव में देय राशि निकल जाएगी। दावा याचिका दायर करने की तारीख से वसूली की तारीख तक 7.5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ रु. 3,86,500/- तक। यह निर्णय अपीलकर्ताओं (मोटरसाइकिल के मालिक/चालक) के अनुरोध पर वर्तमान अपील का विषय है।

6. इस अपील में सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता नंबर 2 प्रासंगिक समय पर मोटरसाइकिल नहीं चला रहा था और **ए. श्रीधर बनाम** के मामले में इस कथन को लागू कर रहा है।_**यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य** दावेदार अधिनियम की धारा 140 के तहत 'कोई गलती दायित्व सिद्धांत' पर मुआवजे के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि यह वाहन के मालिक की गलती के कारण दुर्घटना का मामला नहीं_था या किसी_अन्य वाहन की गलती के कारण. यह आग्रह

किया जाता है कि मृतक की लापरवाही के लिए अपीलकर्ताओं पर कोई दायित्व तय नहीं किया जा सकता है, पीछे बैठने वालों पर तो बिल्कुल भी नहीं। यह भी आग्रह किया गया है कि अपीलकर्ता बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं और सामान्य कृषि श्रम कार्य में लगे हुए हैं। यदि पुरस्कार दिया गया तो वे कोई मुआवजा राशि देने की स्थिति में नहीं होंगे। यह भी तर्क दिया गया है कि मृतक और अपीलकर्ताओं के बीच मालिक और नौकर, प्रिंसिपल/नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं था, जो अकेले मुआवजा देने का आधार हो सकता था, सिद्धांत के आधार पर अपीलकर्ताओं पर ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए दायित्व तो और भी कम हो सकता था। परोक्ष दायित्व का. अपीलकर्ताओं द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रति वर्ष 7.5% की दर से ब्याज के साथ अपीलकर्ताओं पर 3,86,500/- रुपये की देनदारी तय करने का उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। किसी भी दायित्व से. वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया है कि मुआवजे की राशि अधिनियम की धारा 140 के तहत निर्धारित की जाए, न कि अधिनियम की धारा 166 के तहत।

7. हालाँकि उत्तरदाताओं को नोटिस दिया गया है, लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, इस अपील की सुनवाई उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करनी पड़ी। हमने अपीलकर्ताओं की विद्वान वकील सुश्री सुमिता हजारिका को विस्तार से सुना है।

8. अपीलकर्ता यह तर्क देने में सही हो सकते हैं कि ऐसे मामलों में जहां दुर्घटना वाहन के मालिक या अन्य वाहन की गलती के बिना होती है, मुआवजे का भुगतान करने का दायित्व, सर्वोत्तम रूप से, धारा 140 के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिनियम जैसा कि **ए श्रीधर** (सुप्रा) में आयोजित किया गया है। यह सच है कि वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को पलट दिया है कि मोटरसाइकिल उस प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता नंबर 2 द्वारा चलाई गई थी जब दुर्घटना हुई थी, और इसके बजाय, यह निष्कर्ष निकाला कि मोटरसाइकिल वास्तव में थी। मृतक कृष्ण कुमार द्वारा संचालित। उस अर्थ में, दुर्घटना न तो वाहन के मालिक (अपीलकर्ता नंबर 1) की गलती के कारण हुई, जो माना जाता है कि प्रासंगिक समय पर मोटरसाइकिल पर मौजूद नहीं था या यात्रा नहीं कर रहा था, न ही किसी अन्य वाहन की गलती के कारण। हालाँकि, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की गहराई से जांच करने पर, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष को उलटने में स्पष्ट त्रुटि

की, रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि हुई कि मोटरसाइकिल किसके द्वारा चलाई जा रही थी। अपीलकर्ता संख्या 2 (अपीलकर्ता संख्या 1 का पुत्र - मोटरसाइकिल का मालिक) और उसने तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना कारित की थी। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि उत्तरदाताओं - दावेदारों ने अंशदायी लापरवाही पाए जाने पर मुआवजे की राशि में कटौती के खिलाफ न तो क्रॉस अपील की है और न ही उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के महत्वपूर्ण निष्कर्ष को उलटने के संबंध में कोई क्रॉस आपत्ति दर्ज की है। . हालाँकि, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मोटर दुर्घटना दावा मामलों में, न्यायालय अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है, लेकिन उसे माता-पिता की भूमिका का निर्वहन करना होगा। यह अपील दावा याचिका की निरंतरता है, हालांकि मालिक (अपीलकर्ता नंबर 1)/वाहन के कथित चालक (अपीलकर्ता नंबर 2) के कहने पर, हम निष्कर्ष को उलटने के लिए उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण की जांच करना उचित मानते हैं। प्रासंगिक समय पर प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2, अपीलकर्ता नंबर 1 के मालिक का बेटा) द्वारा मोटरसाइकिल चलाए जाने के तथ्य पर अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य और यह भी कि उसने जल्दबाजी और लापरवाही के कारण दुर्घटना का कारण बना। ड्राइविंग. हम ऐसा करने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह प्रतिवादियों के लिए डिक्री का समर्थन करने के लिए खुला है, साथ ही यह आग्रह करते हुए कि इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज निष्कर्ष उनके पक्ष में होना चाहिए जैसा कि ट्रिब्यूनल द्वारा आयोजित किया गया है।

9.उत्तरदाताओं ने अपने दावे के समर्थन में कि मृतक कृष्ण कुमार पीछे की सीट पर सवार होकर यात्रा कर रहा था और मोटरसाइकिल पर एक साथ यात्रा कर रहे दो अन्य व्यक्तियों के बीच में बैठा था, गवाहों की जांच की गई जिन्होंने इस तथ्य के बारे में बात की थी कि प्रेम लाल के साथ नरेंद्र पनिका मृतक कृष्ण कुमार की पान दुकान पर आए और उसे अपने साथ ग्राम बेलिया चलने के लिए मना लिया। कृष्ण कुमार प्रेम लाल के साथ जाने के लिए सहमत हो गए और जब वह अपनी पान की दुकान से निकले, तो वाहन प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2) चला रहे थे। गवाहों ने यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जब वे ग्राम बेलिया पहुँचे और उस गाँव से निकले, तो प्रेम लाल मोटरसाइकिल चला रहा था और कृष्ण कुमार बीच में और नरेंद्र पनिका उसके पीछे बैठे थे। गवाह जवाहर लाल (एडब्ल्यू-5) ने यह भी कहा है कि जब वह जीप में बैकुंठपुर से सोनहत जा रहा था, तो उसने कृष्ण कुमार को अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर और बीच में बैठे हुए देखा।

इसके कुछ मिनट बाद ही हादसा हो गया. उत्तरदाताओं ने अपने गवाहों के माध्यम से यह भी स्थापित किया है कि मोटरसाइकिल अपीलकर्ता नंबर 1 के स्वामित्व में थी और अपीलकर्ता नंबर 2 उस मोटरसाइकिल को स्वयं चलाता था। अपीलकर्ताओं और उनके गवाहों नरेंद्र पनिका (डीडब्ल्यू-2) और जय प्रकाश (डीडब्ल्यू-3) के स्पष्ट शब्दों के अलावा, जो स्पष्ट रूप से इच्छुक गवाह हैं, अपीलकर्ताओं ने कोई सबूत भी पेश नहीं किया। संपूर्ण साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लेते हुए, ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले के पैराग्राफ 17 और 18 में इस प्रकार कहा:

> "17. गवाहों गायत्री (AW-1), राजकुमार (AW-2), संजय प्रताप सिंह (AW-3), भागवत प्रसाद (AW-4), जवाहर लाल (AW-5), संदीप कुमा (AW-6) और से पूछताछ प्रदर्शित दस्तावेजों से ज्ञात हुआ कि दिनांक 14.11.2006 को ग्राम कैलाशपुर के पास खाड़ नाला के पास मोटर सायकल क्रमांक सीजी 16 सी/5171 दुर्घटनाग्रस्त हो गयी थी, जिसमें मोटर सायकल पर सवार प्रेमलाल, नरेन्द्र पनिका एवं कृष्ण कुमार घायल हो गये थे। कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे, इसलिए चरचा अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई.
>
> 18. आवेदक क्रमांक 1 श्रीमती के कथन से। गायत्री देवी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुण्ठपुर के समक्ष आपराधिक शिकायत क्रमांक 39/08 में प्रथम दृष्टया गवाहों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रेमलाल राजवाड़े के विरूद्ध आईपीसी की धारा 279, 304 ए के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है एवं मामला न्यायालय में लंबित है। अदालत। ये तथ्य जिरह की कसौटी पर खरे उतरे हैं।"

10. फिर से, पैराग्राफ 22-24 में, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया और प्रतिवादियों के संस्करण को स्वीकार कर लिया - दावेदार कि प्रासंगिक समय पर मोटरसाइकिल प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2) द्वारा चलाया जा रहा था। और उसने लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना कारित की थी। अनुच्छेद 22-24 इस प्रकार पढ़ें:

> "22. प्रतिवादी प्रेमलाल (DW-1), गवाह नरेंद्र पनिका (DW-2), और जयप्रकाश (DW-3) के उपर्युक्त बयानों के आधार पर आवेदकों का दावा साबित होता है कि कृष्ण कुमार की मृत्यु मोटरसाइकिल दुर्घटना में हुई थी।

23. प्रतिवादियों का बचाव यह है कि उक्त दिनांक को मोटरसाइकिल मृतक कृष्ण कुमार चला रहा था। प्रतिवादी गवाह प्रेमलाल (DW-1), नरेंद्र कुमार (DW-2), और जयप्रकाश (DW-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि कैलाशपुर से वापस जाते समय उक्त वाहन कृष्ण कुमार चला रहा था। कृष्ण कुमार मोटरसाइकिल को तेज गति व लापरवाही से चला रहा था, जिसके कारण वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और दुर्घटना हो गयी. गवाह प्रेमलाल (डीडब्ल्यू-1) ने अपनी जिरह में आवेदकों के दावे का खंडन किया है और कहा है कि मृतक कृष्ण कुमार सभी प्रकार के वाहन चलाना जानता था। लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी नहीं होने की बात स्वीकार की कि कृष्ण कुमार के पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं. इस गवाह ने बताया कि मृतक के पास अपने लिए स्कूटर था। हालाँकि, प्रतिवादी उक्त स्कूटर के स्वामित्व के बारे में कोई विश्वसनीय सबूत पेश करने में सक्षम नहीं हैं और न ही यह साबित करने के लिए कोई वैध लाइसेंस है कि कृष्ण कुमार के पास वाहन चलाने का लाइसेंस था। नरेंद्र पनिका (एसडब्ल्यू-2) ने भी मृतक के वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है और न ही मृतक के ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। गवाह जयप्रकाश (DW-3) ने स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी. इस स्थिति में, यह साबित करने का भार प्रतिवादियों पर है कि मृतक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था और वह ही मोटरसाइकिल चला रहा था। प्रतिवादी इस संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं। दुर्घटना में शामिल वाहन CG-16/ C5171 का मालिक मोहर साय है और इसे नियमित रूप से प्रेमलाल (प्रतिवादी क्रमांक 2) द्वारा चलाया जाता था, यदि उसने या उसके पिता (प्रतिवादी क्रमांक 2 और 1) ने मृतक कृष्ण कुमार को अनुमति दी थी, तो दोनों उनमें से निश्चित रूप से दुर्घटना के लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि यह पता लगाए बिना कि मृतक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं, प्रतिवादियों ने उसे मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति दे दी।

24. अत: उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 पर आवेदक प्रतिवादियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक सिद्ध करने में सफल रहे हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादी प्रश्न संख्या 2 पर अपना मामला साबित नहीं कर पाए हैं। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 को हां और प्रश्न संख्या 2 को नहीं के रूप में निर्णय दिया जाता है।

11. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रिब्यूनल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न केवल एक संभावित दृष्टिकोण था, बल्कि मोटर दुर्घटना मामलों में साक्ष्य की सराहना के लिए लागू किए

जाने वाले पैमाने के अनुरूप भी था, अर्थात् संभावनाओं की प्रबलता। फिर भी, उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए इस सुविचारित तथ्य को केवल इस प्रकार देखकर उलट दिया:

> "11। गवाहों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद, यह पता चलेगा कि आवेदक ने चश्मदीद गवाह संजय प्रताप सिंह से A.W.3 के रूप में पूछताछ की थी, लेकिन उसने जिरह में कहा है कि उसने घटना नहीं देखी है और दुर्घटना होने के बाद वह मौके पर पहुंचा था। इसी तरह गवाह भगवत प्रसाद का इस बारे में सिर्फ इतना कहना है कि दुर्घटना होने से पहले गाड़ी प्रेमलाल चला रहा था. एक अन्य गवाह जवाहरलाल साहू ने अपनी जिरह में कहा है कि उन्होंने घटना नहीं देखी है। इसलिए, एफआईआर के साथ गवाहों के बयानों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह कहा गया है कि प्रासंगिक समय पर, वाहन मृतक द्वारा स्वयं चलाया जा रहा था, यह अधिक प्रशंसनीय प्रतीत होता है। Ex.D-4 दो व्यक्तियों के MLC का एक दस्तावेज़ है, जो डॉक्टर द्वारा भेजी गई एक सूचना है। Ex.D-4 का तात्पर्य है कि डॉक्टर ने पुलिस को घायल व्यक्तियों के बारे में सूचित किया और इसमें यह कथन है कि मोटरसाइकिल में 3 व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। और मोटरसाइकिल के ड्राइवर की मौत हो गई थी. यह 14.11.2006 को रात लगभग 11.45 बजे, यानी दुर्घटना की तारीख और घटना घटित होने के तुरंत बाद भेजा गया था। इसे मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे लोगों के बयानों के साथ पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रासंगिक समय पर, वाहन मृतक कृष्ण कुमार राजवाड़े द्वारा ही चलाया जा रहा था।
>
> 12. इसलिए रिकॉर्ड पर साक्ष्यों और दस्तावेजों से उभरे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि विद्वान दावा न्यायाधिकरण का यह निष्कर्ष कि प्रासंगिक समय पर वाहन प्रेमलाल राजवाड़े द्वारा चलाया जा रहा था, टिकाऊ नहीं प्रतीत होता है और अलग रखा गया है. तदनुसार, यह माना जाता है कि मृतक भी दुर्घटना के लिए अंशदायी लापरवाही के लिए उत्तरदायी था।

12. उच्च न्यायालय द्वारा संपूर्ण साक्ष्यों का विश्लेषण नहीं किया गया है, जिसमें गवाहों के भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2) को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखा था और मृतक कृष्ण कुमार उसके पीछे पीछे बैठे थे, जबकि वह अपना पैन छोड़ रहा था। दुकान और जब वे ग्राम बेलिया पहुंचे और फिर, जब वे उस गांव से निकले, जिसमें दुर्घटना होने से ठीक पहले रास्ते में जवाहर लाल (एडब्ल्यू-5) द्वारा देखा जाना भी शामिल था। उच्च

न्यायालय ने दावेदारों के गवाहों के कथन को असत्य मानकर खारिज नहीं किया है। दावेदारों द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य के अलावा, ट्रिब्यूनल ने भारतीय दंड की धारा 279 और 304 ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैकुंठपुर के समक्ष दायर आपराधिक शिकायत संख्या 39/08 के संबंध में पुलिस कागजात पर भी ध्यान दिया। संहिता और उसमें उल्लिखित गवाहों के बयान। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं और Exh की ओर से जांचे गए इच्छुक गवाहों के बयानों पर चुनिंदा रूप से भरोसा किया। D-4 और Exh. डी-5. उदा. डी-4 नरेंद्र पनिका के एमएलसी का एक दस्तावेज है, जिसने संभवतः यह सूचना दी थी कि कृष्ण कुमार गंभीर रूप से घायल थे और अस्पताल ले जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अपीलकर्ता नंबर 2 और नरेंद्र पनिका द्वारा डॉक्टर को दिया गया बयान एकतरफा था और उसे दर्ज करने से पहले स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शियों से सत्यापित नहीं किया गया था। Exh.D-5 की स्थापना भी इसी तरह दो घायल व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना पर की गई थी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन कारणों से सही स्थिति का खुलासा नहीं किया था जो उन्हें सबसे अच्छे से ज्ञात थे। विशेष रूप से, दावेदारों द्वारा जांचे गए चश्मदीद गवाहों को न तो असत्य के रूप में खारिज_किया गया है और न ही उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दिए गए बयान में कोई विरोधाभास पाया है। जिरह के दौरान उनका_बयान बरकरार रहा। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने केवल बचाव में अपीलकर्ताओं द्वारा जांचे गए इच्छुक गवाहों के संस्करण पर भरोसा करके ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष को उलटने में स्पष्ट त्रुटि की। दूसरी ओर, ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्य की समग्रता का विश्लेषण संभावनाओं की प्रधानता के सिद्धांत के अनुरूप है।

13. एक बार जब उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष संदिग्ध हो जाता है, तो अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क विफल हो जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 140 लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। इसी कारण से, **ए. श्रीधर** (सुप्रा) के मामले में स्पष्टीकरण से अपीलकर्ताओं को कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, हमें ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई खामी नहीं मिली कि मोटरसाइकिल को प्रासंगिक समय पर प्रेम लाल (अपीलकर्ता नंबर 2) द्वारा चलाया गया था और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटना हुई, जिसके परिणामस्वरूप सभी को चोटें आईं। मोटरसाइकिल पर तीन लोग यात्रा कर रहे थे, जिनमें मृतक कृष्ण कुमार भी शामिल थे, जिन्होंने चरचा अस्पताल में भर्ती होने से पहले दम तोड़ दिया। भविष्य की संभावनाओं के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा और 16 के गुणक को लागू करने सहित व्यक्तिगत खर्चों के लिए 1/4 की कटौती के बारे में कोई गंभीर तर्क नहीं दिया गया है। भले ही उस संबंध में कोई भी तर्क अपीलकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो, जैसा कि इसमें शामिल राशि नगण्य

है और ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मात्रा और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मात्रा के बीच अंतर केवल मामूली है (ट्रिब्यूनल ने रु. 3,85,000/- निर्धारित किया है और उच्च न्यायालय ने रु. 3,86,500/- निर्धारित किया है) , हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हैं। साथ ही, हमें स्पष्ट करना चाहिए कि हमने मृतक के प्रति अंशदायी लापरवाही और उसके लिए 50% मुआवजा राशि की कटौती के प्रावधान के संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की औचित्य की जांच नहीं की है। क्योंकि, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के उस हिस्से पर हमला नहीं किया है।

14. मामले पर समग्र रूप से विचार करते हुए, हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, लागत के संबंध में कोई आदेश दिए बिना यह अपील खारिज की जाती है।

दिव्यापांडे अपील खारिज।

आशीष तिवारी की देखरेख में मानसी मिश्रा द्वारा अनुवादित।